

21.8.26

पत्रावली पेशी में वी गई प्रकरण में कक्ष
उभयपक्ष (व्यक्ति) लुकी या चुकी हा युक्ति
राला प्रकरण एक संक्षिप्त विचारक है
इसलिए जमीन के बदले जमीन की जाकर
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है किंतु
निर्णय अलग से लिखवाया जाकर पुनः
इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर 1
का भी जाकर काबिल करार की
जाती है आदेश सुनाया गया।

दिनांक
सहायक कलक्टर
एव आयुक्त अधिकारी
मुंबई